



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234859
CG-DL-E-06042022-234859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1546]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944

No. 1546]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1615(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (भोपालपटनम-जगदलपुर मार्ग) के कि.मी. 372.050 (बरदेला नाला), कि.मी. 374.200 (जंगला नाला), कि.मी. 401.150 (मारी नदी), कि.मी. 414.300 (तुमनार नदी), कि.मी. 337.200 (सिंगार बहार नदी) और कि.मी. 331.800 (चिंतावागूनदी) के निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन एवं पुल बनाने आदि) अनुसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH63 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैरमगढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH63 के कि.मी. 404.25 से 404.35 तक	छत्तीसगढ़	बीजापुर	भैरमगढ़	1 कोडोली
2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भोपालपटनम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH63 के कि.मी. 331.8 से 332.6 तक	छत्तीसगढ़	बीजापुर	भोपालपटनम	1 मोदकपाल
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी दांतेवाड़ा, जिला दांतेवाड़ा (छ.ग.)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH63 के कि.मी. 404 से 404.15 तक	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा	गीदम	1 बोदली

[फा. सं. RO/NH/CG-2021-22/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1615(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, Districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of High Level Bridge across at Km. 372.050 (Bardela Nala), Km. 374.200 (Jangla Nala), Km. 404.150 (Mari River), Km. 414.350 (Tumnar River) Km. 337.200 (Sigar Bahar River) & Km. 331.800 (Chintavagu River) Bhopalpattnam to Jagdalpur Road on the National Highways No. 63 for building (Widening/Four-laning Bridge etc.) maintenance, management and operation in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highways No. 63 in the state of chhattisgarh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Land Aquisition Officer and SDO (Revenue) Bhairamgarh District Bijapur (C.G)	404.25KM To 404.35KM	CHHATTISGARH	BIJAPUR	Bhairamgarh	1 Kodali
2	Land Aquisition Officer and SDO (Revenue) Bhopalpatnam District Bijapur (C.G)	331.8KM To 332.6KM	CHHATTISGARH	BIJAPUR	Bhopalpattnam	1 modakpal
3	Land Aquisition Officer and SDO (Revenue) Dantewada District Dantewada (C.G)	404KM To 404.15KM	CHHATTISGARH	DANTEWADA	Gidam	1 Bodli

[F. No. RO/NH/CG-2021-22/LA]

RAJESH GUPTA, Director